	23/11/20	प्र. फ. उपरा प्रार्थना-पत्र बाबत प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार किये जाने	

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2020.12.14 16:40:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

फर्द अहकाम

भिवाप सिंह बनाम गोविन्द व अन्य

नाम न्यायालय

केस संख्या 6/2018 प्रा.पत्र 25(क)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 25(क) R T Act एवं अन्तर्गत धारा 151 CPC पर उभयपक्ष अधिवक्तागण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई जिसमें अप्रार्थी संख्या अधिवक्ता/अप्रार्थी की ओर से प्रा.पत्र 6 व 8 की ओर से प्रा.पत्र 151 CPC का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त प्रार्थी प्रकरण में चाहा गया मूललोप एक रास्ते के सम्बन्ध में है तथा प्रकरण में जो रास्ता चाहा गया है वह खसरा नम्बरान 646, 643, 639 से चाहा गया है वह एक ही खातेदारी के खसरा नम्बरान से चाहा गया है जो प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की शामलाती भूमियां है तथा मौके पर की शामलाती है जिनका विधिक बटवारा कायम नहीं हुआ है तथा जब तक शामलाती में जिनका विधिक बटवारा कायम नहीं हुआ है तथा जब तक शामलाती खातेदारी है तब तक सह. खातेदार द्वारा रास्ते के सम्बन्ध में सह. खातेदार के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 25(क) RT Act पेश नहीं कर सकता है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के आपसी सहमति से भूमियों के आने जाने के लिए रास्ता स्थापित तो उस रास्ते के लिए ... उक्त रास्ते की ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2020.12.14 16:40:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

फर्द अहकाम

[illegible] बनाम [illegible]

न्यायालय

संख्या 6/2018 प्रा. पत्र 25 [illegible]

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	द्वारा कब्जाधारी आदि व्यक्तियों [illegible] की तरफ प्रा. पत्र स्वीकार किये जाने योग्य [illegible] चाहा गया। [illegible] प्रकरण के [illegible] साक्ष्य ग्रामगणी खातेदारी [illegible] [illegible] [illegible] प्रार्थिया [illegible] [illegible] जाना चाहिए था। द्वारा [illegible] जाना चाहिए था। [illegible] प्रार्थिया व [illegible] [illegible] की खातेदारी भूमि के विभाजन के [illegible] प्रत्येक खातेदार के [illegible] को [illegible] [illegible] तथा [illegible] विभाजन [illegible] [illegible] प्रार्थिया [illegible] [illegible] द्वारा [illegible] प्रा. पत्र [illegible] [illegible] प्रार्थिया को [illegible] [illegible] के [illegible] [illegible] किये जावे जो कि [illegible] [illegible] योग्य नहीं है [illegible] [illegible] आधार [illegible] [illegible] प्रार्थिया पत्र पर [illegible] का [illegible] 151 CPC [illegible] [illegible] [illegible] फरमाया जाकर जावे। प्रा. पत्र के [illegible] [illegible] की [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] के प्रा. पत्र [illegible] [illegible] को [illegible] के [illegible] [illegible] है कि [illegible] प्रकरण [illegible] के [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2020.12.14 16:40:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

कद अहकाम

किशन सिंह बनाम गोरधन प. म.

नाम न्यायालय

केस संख्या 6/018 प्रा. पत्र 251(क)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
		विधिवत तकासमा नहीं हुआ है आगामी ववलेहारी कुनिसमन्वयी धारा 251(क) के तहत रास्ता चाहा गया है जो विधि विरुद्ध एक प्रा. पत्र 151 CPC का स्वीकार करे प्रार्थी-पत्र सन्दर्भी धारा 251(क) R.T. Act खारीज करना चाहिए। अधिवक्ता/ प्रार्थी के प्रा. पत्र 151 CPC के संबंध में अपनी बहस में कथन किया है कि रपुरवाचार के तहत प्रार्थी को रास्ता दिया जा सकता है। रवसरा नं. 642, 645, 644, 651 में आने वाले का एकमात्र रास्ता था। जिस रास्ते के प्रार्थीगण का आवागमन चालू था तथा मौके पर उक्त रास्ते को अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 11 ने बन्द कर रखा है। प्रा. पत्र 151 CPC का केवल मात्र प्रकरण के निस्तारण को देरी करने की गरज से पेश किया गया है। प्रा. पत्र 151 CPC का खारीज करना चाहिए। उभय पक्षकारान की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के द्वारा प्रा. पत्र सन्दर्भी धारा 25(क) R.T. Act के तहत [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2020.12.14 16:40:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

फर्द अहकाम

किशन सिंह वगैरह बनाम गोरधन वगैरह

न्यायालय

...संख्या 6/2018

प्रा. पत्र 251(क)

...म संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		जो प्रार्थी व अप्रार्थी के शामलाती खातेदारी भूमि के से चाहा गया है। शामलाती खातेदारी भूमि प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) के तहत रास्ता दिया जाना विधिसम्मत नहीं है जो उक्त धारा के तहत एक खातेदारी भूमि से रास्ता दिया जा सकता है। फलस्वरूप प्रा. पत्र बाबत प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार किये जाने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) R.T.A. व अन्तर्गत धारा 151 CPC को स्वीकार किया जाना एवं प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) को खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना-पत्र बाबत प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार किये जाने प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) R.T. Act 151 CPC का स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का मूल प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो, तामील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2020.12.14 16:40:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner